113

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर ¤¤¤ ॥म0प्र0॥

निगरानी प्र0क्र0/   /017

आम जनता सगरा द्वारा-

सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला निवासी सगरा तह0हुजूर जिला रीवा, म0प्र0 PBR/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/6053 ----- आवेदक

आर.एम.लेग ... द्वारा आज दि. 11-12-17 को प्रस्तुत
11-12-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.
पे. दि. 10-1-18

बनाम

01- लक्ष्मण प्रसाद तनय तेजाराम ब्रा0

02- रामऔतार तनय तेजाराम ब्रा0

03- रामेश्वर तनय तेजाराम ब्रा0

04- पारसनाथ तनय तेजाराम ब्रा0

05- ठाकुर प्रसाद तनय महाबीर ब्रा0

सभी निवासीगण ग्राम सगरा तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

----- अनावेदकगण.

Rssurya
आर.एम.लेग
11-12-17

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तह0 हुजूर, के प्रकरण क्र0 18/अ-6-अ/86-87 जो आदेश दिनांक 23.11.087 मे पारित किया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

॥01॥ अना0गण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 115, 116 एवं धारा 32 के अधीन आवेदन देकर के अना0 के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मे नवैयत का परिवर्तन संबंधी आदेश पारित कराया जिसमे आवेदक आम जनता सगरा की ओर से उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा रही है । जो सद्भावी है ।

निरंतर....

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / रीवा / भू.रा / 2017 / 6053

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17–1–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 18 / अ–6 / 86–87 में पारित आदेश दिनांक 23.11.87 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र करने हेतु 30 वर्ष 3 माह के विलंब से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी आवेदन अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह किया जाता है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	